


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

श्रीमती लक्ष्मी शर्मा तत्कालीन व्याख्याता(इतिहास) वर्तमान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिलाय (टोंक) जन्म तिथि 13.07.1977 व्याख्याता(इतिहास) पद के वरिष्ठता क्रमांक 863/2006-07 को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के ग्रुप-डी-II के अनुरूप प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद की वर्ष 2016-17(रिव्यू रिवीजन-पृथक) की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार चयनोपरान्त कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/संस्था/बी-2/45005/प्रधानाचार्य/आर.आर. पृथक सूची /डीपीसी 16-17/2016 दिनांक 27.09.2016 द्वारा पदस्थापन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक, शककरगढ जिला भीलवाड़ा किया गया था। इस कार्यालय के आदेश पालना में दिनांक 21.10.2016 को कार्यग्रहण किया।

तत्पश्चात् विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाचार्य पद पर वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनोपरान्त आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था /बी-2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17-18/2017 दिनांक 26.07.2017 के द्वारा श्रीमती शर्मा को प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक, झिलाय जिला टोंक पद पर पदस्थापन किया गया।

उक्त आदेश की पालना श्रीमती शर्मा ने दिनांक 28.07.2017 को राजकीय उच्च माध्यमिक, झिलाय जिला टोंक में पुनः कार्यग्रहण किया। श्रीमती लक्ष्मी शर्मा की स्वयं की प्रार्थना पर इनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक, झिलाय जिला टोंक के पद से पदावन्त कर पुनः व्याख्याता (इतिहास) के पद पर पदस्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर


दिनांक : -09.03.2018

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2-7/पदावन्त/2017

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) शासन सचिवालय, जयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, अजमेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) टोंक को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों का इन्द्राज श्रीमती शर्मा की सेवापुस्तिका में लाल स्याही से करें।
4. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-सी कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती लक्ष्मी शर्मा का पदस्थापन व्याख्याता(इतिहास) के रिक्त पद पर अवगत करावें।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक, झिलाय जिला टोंक
6. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक, झिलाय जिला टोंक को निर्देशित किया जाता है कि व्याख्याता(इतिहास) के पद पर पदस्थापन होने तक प्रधानाचार्य पद पर यथावत कार्यरत रहेगी।
7. प्रभारी बी-2 / बी-3 / रक्षित पत्रावली।

8. सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर अनुभव।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान